F.No.43/10/2021-EP
भारत सरकार / Government of India
गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs
(FFR Division)

2nd Floor, NDCC-II Building,
Jai Singh Road, New Delhi – 110001.
Dated 7th September, 2022.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Seeking comments/views/suggestions from stakeholders on draft proposal for Recruitment Rules for the post of Section Officer (SO) and Assistant Section Officer (ASO) in the Office of Custodian of Enemy Property for India, sub-ordinate office under MHA – reg.

In pursuance of DoP&T's O.M. No. AB-14017/61/2008-Estt. (RR) dated 13.10.2015 regarding uploading of draft proposals for framing/amendment of Recruitment Rules on the website and calling for comments, the draft Recruitment Rules in respect of the posts of Section Officer (SO) and Assistant Section Officer (ASO) in the Office of Custodian of Enemy Property for India, a sub-ordinate office under MHA, as per Annexure A and Annexure B, respectively are uploaded in the official website of Ministry of Home Affairs.

2. Before finalizing the Recruitment Rules in consultation with DoP&T and UPSC, comments, if any, are invited from all stakeholders in the matter within a period of thirty (30) days from the date of uploading this O.M. on MHA website, alongwith the said draft rules on the website of Ministry of Home Affairs. The objections/suggestions, if any, received within the stipulated period, shall be examined by the Ministry.

Encl.: as above.

07/09/2022

(Vikash Kumar)
Under Secretary to the Government of India

All the stakeholders through MHA website.

Copy to: SO (IT Cell), MHA – with reference to O.M. of even

no. dated 22.07.2022 & 11.08.2022 on the subject mentioned above, for uploading this O.M. along with the draft Recruitment Rules on the website of Ministry of Home Affairs (MHA) and confirming the same along with the relevant link/path to find them on the website.

भारत के राजपत्र असाधारण (भाग-II, खंड 3(1) में प्रकाशनार्थ

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, ... अप्रैल, 2022

सा0का0नि0 (अ) - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक का कार्यालय, गृह मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर भर्ती की विधि के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** - (1) इन नियमों का नाम भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक का कार्यालय, अनुभाग अधिकारी भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या और वर्गीकरण** - इस पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध पे मैट्रिक्स में उसका लेवल वही होगा जैसा कि इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं आदि :** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले वही होंगे जैसे कि उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार के लिए लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृत्ति:-** इन नियमों की कोई बात, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और विशेष प्रवर्ग के अन्य व्यक्तियों को प्रदान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयुसीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अनुभाग अधिकारी (अस्थायी)	03 (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह `ख` राजपत्रित, अलिपिकवर्गीय	लेवल - 08	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं क्या प्रोन्नतियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की विधि:** सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय/चयन समिति है तो उसकी संरचना क्या है ?
(11)	(12)

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी :- (क) (i) पे लेवल 07 (44900-142400 रुपए) के वेतनमान में सहायक अनुभाग अधिकारी जिनकी इस ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा हो। (ii) जो मूल संवर्ग/विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में पे लेवल -07 (44,900-142400 रुपए) या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा की है। (ख) जिनके पास भूमि अधिग्रहण और विक्री में तीन वर्ष के अनुभव सहित प्रशासन में पांच वर्ष के अनुभव के साथ-साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि हो। **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**समूह "ख" विभागीय चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर विचार करने के लिए) में शामिल हैं :** लागू नहीं।
भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
(13)	
पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य होगा।	

[फाइल सं. 43/10/2021-ईपी]

(बलजीत सिंह)
उपसचिव , भारत सरकार

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION
NEW DELHI, the April, 2022

G.S.R. (E) - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Section Officer in the Office of the Custodian of Enemy Property for India, Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement**---(1) These rules may be called the Office of the Custodian of Enemy Property for India, Section Officer Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification** --- The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these Rules.

3. **Methods of recruitment, age limit and qualifications, etc.**---- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualifications**.---- No person,---

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule.

5. **Power to relax**----- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:**----Nothing in these rules shall affects reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of the post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Section Officer (Temporary)	03 (2022) * Subject to variations dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Gazetted Non-Ministerial	Level-08	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment**: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental/Selection Committee exists, what is its composition
(11)	(12)

Deputation: Officers under the Central/State Government/Union Territories:- (a) (i) ASO in the scale of Pay Level-07 (Rs.44900 – 142400) in with five years regular service in the grade. (ii) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department; or (iii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of Pay Level-07 (Rs.44900 – 142400) or equivalent in the present cadre/Department; and (b) Possessing bachelor degree from recognized University or Institute having five years of experience in administration including three year experience in Lands acquisition & disposal. **Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	**Group "B" Departmental Selection Committee (for considering deputation) consisting of :-** Not Applicable

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitments
(13)
Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up the post

[File No.43/10/2021-EP]

(Baljit Singh)
Deputy Secretary to the Govt. of India

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, ... अप्रैल, 2022

सा0का0नि0 **(अ)** - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक का कार्यालय, गृह मंत्रालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर भर्ती की विधि के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** - (1) इन नियमों का नाम भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक का कार्यालय, सहायक अनुभाग अधिकारी भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या और वर्गीकरण** - इस पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध पे मैट्रिक्स में उसका लेवल वही होगा जैसा कि इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं आदि :** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले वही होंगे जैसे कि उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार के लिए लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति : -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृत्ति:-** इन नियमों की कोई बात, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और विशेष प्रवर्ग के अन्य व्यक्तियों को प्रदान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद है अथ्वा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयुसीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक अनुभाग अधिकारी (अस्थायी)	03 (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय	लेवल - 07	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं क्या प्रोन्नतियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की विधि:** सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय/चयन समिति है तो उसकी संरचना क्या है ?
(11)	(12)

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में पे लेवल -06 (35,400-112400 रुपए) या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा की है, (iii) पे लेवल -05 (29200-92300 रुपए) के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में छह वर्ष की सेवा की है। **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**समूह "क" विभागीय चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर विचार करने के लिए) में शामिल हैं :** 1. शत्रु संपत्ति अभिरक्षक – अध्यक्ष 2. निदेशक/उप सचिव (शत्रु संपत्ति)- सदस्य 3. अवर सचिव (शत्रु संपत्ति) - सदस्य

परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(13)
लागू नहीं

[फाइल सं. 43/10/2021-ईपी]

(बलजीत सिंह)
उप सचिव , भारत सरकार

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART II-SEC, 3(I)]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION
NEW DELHI, the April, 2022

G.S.R. (E) - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Section Officer in the Office of the Custodian of Enemy Property for India, Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement**---(1) These rules may be called the Office of the Custodian for Enemy Property for India, Assistant Section Officer Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification** --- The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these Rules.

3. **Methods of recruitment, age limit and qualifications, etc.**---- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualifications**.---- No person,---

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule.

5. **Power to relax**----- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:**----Nothing in these rules shall affects reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of the post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Section Officer (Temporary)	03 (2022) *Subject to variations dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted Non-Ministerial	Level- 07	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment**: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental/Selection Committee exists, what is its composition
(11)	(12)

Deputation: Officers under the Central/State Government/Union Territories:- (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department; or (ii) With three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of Pay Level-06 (Rs.35400 – 112400) or equivalent in the present cadre/Department; (iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of Pay Level -05 (Rs.29200 - 92300). **Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	**Group "B" Departmental Selection Committee (for considering Deputation) consisting of :-** 1. Custodian of Enemy Property – Chairman 2. Director/DS (Enemey Property) – Member 3. Under Secretary (Enemey Propery)- Member

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitments
(13)
Not Applicable

[File No.43/10/2021-EP]

(Baljit Singh)
Deputy Secretary to the Govt. of India